

फर्द अहकाम

बाबूलाल बनाम मामीराम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जिल्ला

केस संख्या 75/2024

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	5/2024	<p>पञ्जवली फसल/कृषि प्राप्ति व संपत्ति उपस्थित। उपपक्ष अधिवक्तागण की प्राप्ति पर लक्ष्य पुनी गई। प्राप्ति अधिवक्ता का मुख्य कथन रहा कि संपत्तिगण बिना तस्मात्तुये संयुक्त कठोर-करत की कृषि भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे हैं तथा प्राप्ति की जबरन बेइखल करना चाहते हैं। इतः संपत्तिगण को जरिपे इस्पाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जाके उपपक्ष अधिवक्तागण की लक्ष्य व पञ्जवली का संप्रलोकन किया गया। परकारण के मध्य बँलको कइ सद्विधि विवड है। प्रपक्ष दूरस्था मात्रा सुविधा का संयुक्त व तपूरकीप इति प्राप्ति के पक्ष में प्रतीत होती है इतः वाइ बाहुल्यता के रोके हेतु उपपक्ष के डिनांक 16/7/2024 को जारी इतः रिक्त स्थान आदेश को मूलवत् के निस्तारण तक स्पाई किया जाता है। पञ्जवली के सब शुक्रा होकर दाखिल फसल है।</p>

सहायक कलक्टर आमेर जिल्ला